वार्षिक रिपोर्ट
2006-07

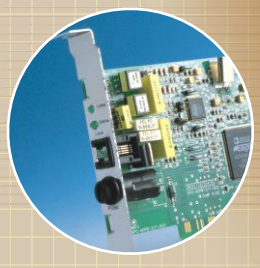

सी-डॉट
C-DOT

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स

सी-डॉट
C-DOT

विषय सूची

सी–डॉट प्रबंधन मंडल 3

विहगावलोकन 4

31 मार्च को विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति. . . . 6

अन्य कार्यकलाप 9

लेखा विवरण 11

प्रबंधन मंडल

शासी परिषद

अध्यक्ष

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

उपाध्यक्ष

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

सदस्य

रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार
अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग
सदस्य (प्रभारी सी–डॉट), दूरसंचार आयोग
सदस्य (वित्त), दूरसंचार आयोग
सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत संचार निगम लिमिटेड
कार्यकारी निदेशक, सी–डॉट
निदेशकगण, सी–डॉट

संचालन समिति

अध्यक्ष

अध्यक्ष, दूरसंचार आयोग

उपाध्यक्ष

सदस्य (प्रभारी सी–डॉट), दूरसंचार आयोग

सदस्य

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आई.टी.आई. लिमिटेड
निदेशक (योजना), भारत संचार निगम लिमिटेड
वरिष्ठ उप–महानिदेशक, टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर
उप–महानिदेशक (टीपीएफ), दूरसंचार आयोग
वरिष्ठ निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
कार्यकारी निदेशक, सी–डॉट
निदेशकगण, सी–डॉट

परियोजना मण्डल

अध्यक्ष

कार्यकारी निदेशक, सी–डॉट

सदस्य

निदेशकगण, सी–डॉट

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी–डॉट) भारत सरकार का दूरसंचार प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास केन्द्र है ।

सी–डॉट फिक्स्ड लाइन, मोबाइल और पैकेट आधारित कन्वर्ज्ड नेटवर्कों और सेवाओं के लिए संपूर्ण दूरसंचार समाधान, प्रौद्योगिकियां और अनुप्रयोग विकसित करता है। सी–डॉट इस समय रक्षा और सुरक्षा एजेंसियों के लिए परियोजनाओं, पैकेट आधारित अगली पीढ़ी के नेटवर्कों के लिए नेटवर्क समाधान विकसित करने और मौजूदा नेटवर्कों का लाभ उठाने को महत्व दे रहा है। सी–डॉट टर्नकी आधार पर सॉफ्टवेयर उन्मुख उत्पादों और समाधानों को भी महत्व दे रहा है। डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए अन्य राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ–साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए परियोजनाओं और ब्रॉडबैंड समाधानों के लिए उद्यम विकसित करना भी इन योजनाओं का हिस्सा है।

सी–डॉट के उत्पादों में एडवांस्ड इंटेलीजेंट नेटवर्क समाधान, एक्सेस नेटवर्क उत्पाद, वेवलेंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग (डब्ल्यू.डी.एम.) प्रणालियां, उपग्रह संचार प्रणालियां, नेटवर्क प्रबंधन प्रणालियां, प्रचालन समर्थन प्रणालियां, वॉइस तथा डाटा संचार के लिए सैल और पैकेट प्रौद्योगिकियां तथा ग्रामीण वायरलैस एक्सेस और सॉफ्टवेयर परिभाषित तथा कॉग्निटिव रेडियो आधारित ब्रॉडबैंड समाधान शामिल हैं। सी–डॉट फील्ड में मौजूदा पारम्परिक प्रणालियों को भी निरंतर समर्थन देता है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना और वर्ष पर एक नजर

दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भारत के दूरसंचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जबरदस्त परिवर्तन हुआ और नेटवर्कों की विकास दर में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ–साथ नवीन सेवाएं शुरू होने के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सी–डॉट द्वारा शुरू की गई अधिकतर योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और जो योजनाएं अधूरी हैं, उनके 11वीं योजना के प्रारंभिक एक या दो वर्ष के भीतर पूरी होने की संभावना है। इस समय चल रही 4 योजनाओं के शेष डिलीवरेबल पूर्ण होने के अग्रिम स्तर पर (85–90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है) है। योजना अवधि के दौरान प्रमुख प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में हुई प्रगति और अन्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं:–

- दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सी–डॉट ने उपभोक्ताओं की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने और मौजूदा प्रौद्योगिकियों में विशिष्टताओं और सेवाओं को उन्नत बनाने के प्रयास जारी रखे।

- सी–डॉट ने नीतिपरक नेटवर्कों के लिए एटीएम स्विच विकसित किए और इस समय अत्याधुनिक नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क (एनजीएन) प्रणालियां, एमपीएलएस रूटर इत्यादि विकसित कर रहा है। अन्य सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के अलावा भारतीय नौसेना ने एटीएम प्रौद्योगिकी को अपनाया।

- सी–डॉट ने रेडियो, उपग्रह, वायरलैस और ऑप्टीकल फाइबर जैसे विविध माध्यमों पर एक्सेस और बैकबोन सम्पर्कता के लिए व्यापक श्रेणी के उत्पाद भी विकसित किए। आईडीआर उपग्रह पायलट प्रणाली को बीएसएनएल के वाणिज्यिक नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर आधारित डब्ल्यूडीएम पायलट प्रणाली के साथ लगाया गया है।

- पिछले कई वर्षों के दौरान विकसित समाधानों और प्रगामी कौशल पर आधारित सॉफ्टवेयर के लाभ को देखते हुए सी–डॉट ने नवीन सॉफ्टवेयर उन्मुख उत्पाद और समाधानों के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सी–डॉट व्यावसायिक बाजार में भी पकड़ बनाने में सफल रहा है। स्थानीय एक्सचेंजों, ट्रंक एक्सचेंजों और जीएसएम नेटवर्क के लिए नेटवर्क प्रबंधन प्रणालियां प्रमुख घटक हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल के बीच रोमिंग के लिए उपभोक्ता प्रबंधन, पारेषण प्रबंधन, क्लियरिंग हाउस, मिस्ड कॉल एलर्ट प्रणालियां और संवर्द्धित इंटेलीजेंट नेटवर्क फीचर इत्यादि भी महत्वपूर्ण है। कॉल इंटरसेप्शन और इंटेलीजेंस प्रणाली विकसित की गई और इसे प्रवर्तन निदेशालय ने लगाया है। बीएसएनएल में पायलट परीक्षण के बाद फिक्स्ड लाइन आधारित प्रणाली एमटीएनएल में भी लगाई गई।

- इंटेलीजेंट नेटवर्क प्रणालियां और आईएमपीसीएस पायलट सी–डॉट और बीएसएनएल, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

- स्पैक्ट्रम नीति, ग्रामीण परियोजनाओं, पैसिव बुनियादी–ढांचे की साझेदारी में यूसोफा परियोजना इत्यादि जैसे सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर तथा तकनीकी समर्थन के माध्यम से सी–डॉट राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास केन्द्र के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है।

- फाइबर एक्सेस प्रणालियां, वैल्यू इंजीनियर स्विचिंग आधारित मॉडयूल, नैक्स्ट जेनरेशन ऑप्टीकल फाइबर आधारित एसडीएच प्रणालियां इत्यादि जैसी कुछ योजनाओं में विकास विभिन्न कारणों से व्यावसायिक रूप में परिणत नहीं किया जा सका।

विकास में लगने वाला समय कम करने, इसकी गति बढ़ाने और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में प्रवेश के लिए सी–डॉट ने विभिन्न मॉड्यूलों पर आधारित नीतिपरक भागेदारी की है जो परियोजना आधारित समझ, भागीदारों की मुख्य प्रौद्योगिकियां विकसित करने से लेकर इक्विटी आधारित उद्यमों तक फैला है।

- एक विदेशी कम्पनी के साथ संयुक्त इक्विटी आधारित भागीदारी में सी–डॉट मोबाइल वाइमैक्स जैसी 4जी प्रौद्योगिकी विकसित करेगा। लैब परीक्षण किए जा रहे हैं।

- ऑप्टिकल फाइबर, सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो और ब्रॉड बैंड, कॉग्निटिव रेडियो का प्रयोग करते हुए अगली पीढ़ी के नेटवर्क जीपॉन प्रणालियां परियोजना आधारित पारस्परिक गठबंधन के कुछ उदाहरण हैं।

- सी–डॉट ने ब्रॉड बैंड कॉग्निटिव रेडियो के लिए कनाडा के अनुसंधान केन्द्र के साथ, सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो के लिए वानु सिस्टम्स, यूएसए के साथ, मीडिया गेटवे के लिए इजराइल के ऑडियो कोड्स के साथ, सॉफ्ट स्विचों के लिए इजराइल के वोकल टेक और सिग्नलिंग गेटवे के लिए इंटेल कार्पोरेशन और परफोर्मेंस टेक्नोलोजिस के साथ संयुक्त उद्यम भागीदारी की है। सभी प्रणालियां सहयोग के आधार पर विकसित की गईं और इनका फील्ड परीक्षण किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान कार्यकलाप

- वित्तीय वर्ष 2006–2007 के लिए योजनाओं/परियोजनाओं के डिलीवरेबल संबंधी प्रस्ताव तैयार करते समय शून्य आधारित बजट प्रक्रिया (जेडबीबी) अपनाई गई । आउटकम बजट के हिस्से के रूप में भौतिक लक्ष्य और वित्तीय लक्ष्य भी तिमाही आधार पर परिभाषित किए गए।

- वर्ष के दौरान शुरू किए गए कार्यकलाप और उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

व्यवसाय और उद्योग के लिए नवीन सेवाएं

- नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (एनएमएस) संवर्धन
- प्रचालन समर्थन प्रणाली (ओएसएस)
- कॉल इंटरसेप्शन तथा इंटेलीजेंट प्रणाली (सीआईआईएस)
- प्रौद्योगिकी समर्थन के हिस्से के रूप में अन्य नवीन सेवाएं

एडवांस्ड इंटेलीजेंट नेटवर्क (आईएन) सेवाएं

- आईएन संवर्धन तथा आईएन आधारित सेवाएं
- **फाइबर तथा उपग्रह पर हाईबिट रेट नेटवर्क बैकबोन**
- सी–डॉट वेवलैंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग (डब्ल्यूडीएम)
- केयू बैंड में ब्रॉडबैंड उपग्रह प्रणाली (डीबीटीएस)
- गीगा बिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (जीपॉन)
- **वाइस तथा डेट कंवर्जेंस के लिए सेल तथा पैकेट प्रौद्योगिकी**
- बीएसएनएल नेटवर्क में सी–डॉट एनजीएन समाधान
- एआईएसडीएन–17 (नौसेना) के लिए नेटवर्क विश्वसनीयता को अधिकतम बनाना
- **वायरलैस तथा मोबाइल संचार**
- वायरलैस एक्सेस प्रणाली
- **तकनीकी समर्थन सेवाएं – उत्पाद संवर्धन तथा फील्ड समर्थन**
- सी–डॉट मैक्स प्रौद्योगिकी संवर्धन
- सी–डॉट रैक्स प्रौद्योगिकी संवर्धन

व्यवसाय और उद्योग के लिए नवीन सेवाएं

नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (एनएमएस)

परियोजना का संबंध स्थानीय एनएमएस, ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज, (टैक्स), जीएसएम मोबाइल नेटवर्क और उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए नेटवर्क प्रबंधन। एनएमएस में दोष का पता लगाना, गणना, निष्पादन, उपभोक्ता प्रबंधन और बहु विक्रेता और बहुप्रौद्योगिकी के इस माहौल में सुरक्षा शामिल है।

ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (टैक्स एनएमएस) : सी–डॉट टैक्स एनएमएस की देशव्यापी स्थापना के लिए निविदा दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया।

जीएसएम नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (जीएनएमएस) : जीएसएम आधारित मोबाइल नेटवर्क के लिए नेटवर्क प्रबंधन उपलब्ध करवाने हेतु जीएनएमएस लगाने के लिए बीएसएनएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

सी–डॉट स्थानीय नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (एलएनएमएस) : बीएसएनएल और एमटीएनएल के स्थलों में नए सॉफ्ट्वेयर लगाए गए तथा उपभोक्ता प्रबंधन कार्यों में कुछ परिवर्धन भी किए गए।

प्रचालन समर्थन प्रणाली (ओएसएस)

जीएसएम राष्ट्रीय रोमिंग के लिए क्लियरिंग हाउस के लिए अनुप्रयोग (सीएलएच) बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के लिए पायलट/फील्ड परीक्षण शुरू हुआ।

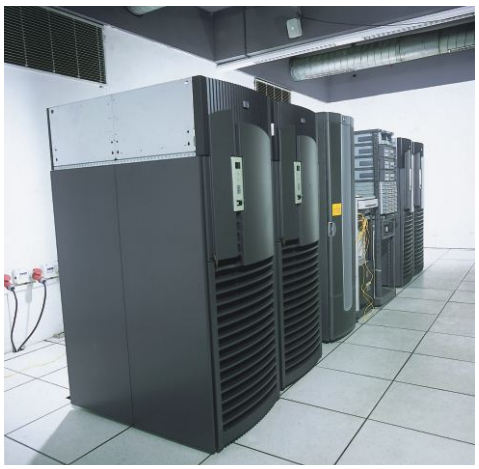

कॉल इंटरसैप्शन तथा इंटेलीजेंस प्रणाली (सीआईआईएस)

सीआईआईएस वाइस, डेटा, फैक्स तथा एसएमएस पायरेशन को कानूनी रूप से इंटरसैप्ट करने के लिए खुफिया एजेंसियों की मदद करता है। इस प्रणाली में लैंड लाइन, मोबाइल तथा पैकेट स्विच्ड नेटवर्कों में सर्किट स्विच्ड कॉलों का इंटरसेप्शन शामिल है।

कानूनन इंटरसेप्शन प्रणाली (एलआईएस) : एलईआईएफ तथा एलईएमएफ (लॉफुल एंफोर्समेंट इंटरसेप्शन तथा निगरानी कार्य) में परिवर्धन किए गए। एलईए तथा एमटीएनएल, दोनों को प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं।

एडवांस्ड आईएन (एआईएन)

सी–डॉट इंटेलीजेंट नेटवर्क उत्पाद आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों से युक्त हैं। सी–डॉट के आईएन समाधानों में पारम्परिक वायर लैन नेटवर्कों, जीएसएम तथा सीडीएमए मोबाइल नेटवर्कों और भावी पैकिट आधारित नेक्स्ट जेनरेशन और 3 जी आईएमएस नेटवर्कों पर आईएन सेवाएं शामिल हैं। इसमें पारम्परिक रूप से लोकप्रिय प्रीपेड, निशुःल्क, प्रीमियम प्रभारण वाली सेवाएं और नई पीढ़ी की इंटरनेट कॉल वेटिंग, सार्वभौमिक व्यक्तिगत दूरसंचार और नवीन मल्टीमीडिया सेवाएं उपलब्ध हैं। यह समाधान छोटे और बड़े विक्रेताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जा सकता है।

आईएन संवर्धन और आईएन आधारित सेवाएं

आईएन फिक्स्ड लाइन, जीएसएम, सीडीएमए और आईपी नेटवर्कों जैसे विभिन्न नेटवर्कों के लिए नई प्रौद्योगिकियों के प्रादुर्भाव पर निर्भर सेवाओं का समूह है।

आईएन संवर्धन विकास जीएसएम तथा सीडीएमए (विन) के लिए पूर्ण हो चुका है तथा क्षेत्र परीक्षण प्रगति पर है। कनवर्ज्ड आईपी नेटवर्क के लिए विकास जारी है।

फाइबर तथा उपग्रह पर हाईबिट रेट नेटवर्क बैकबोन

डीडब्ल्यूडीएम प्रणाली 2.5 जीबीपीएस की दर तक एक ही फाइबर पर 80 जीबीपीएस का थ्रूपुट प्रदान करने के लिए 32

वेवलैंथ को एक साथ पारेषित करने के लिए एक उच्च क्षमता की ऑप्टिकल फाइबर पारेषण प्रणाली है।

सी–डॉट वेवलैंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग (डब्ल्यूडीएम)

डीडब्ल्यूडीएम (डेंस वेवलैंथ डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग) के लिए प्रौद्योगिक अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, व्यावसायिक परियात के लिए बीएसएनएल द्वारा फील्ड परीक्षण उपकरण स्वीकार कर लिया गया है। टीईसी का परीक्षण सीडब्ल्यूडीएम (कोर्स डब्ल्यूडीएम) के लिए प्रगति पर है।

केयूबैंड में ब्रॉडबैंड उपग्रह प्रणाली (बीबीटीएस)

लैब में एकीकरण और परीक्षण कार्य प्रगति पर है तथा फील्ड परीक्षण शीघ्र ही शुरू होने की संभावना है।

जी–पॉन (गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क)

डिजाइन कार्यान्वयन प्रगति पर है और प्रौद्योगिकी संबंधी परीक्षण अगले छः माह में शुरू होने की संभावना है।

वाइस तथा डाटा कन्वर्जेंस के लिए सैल तथा पैकेट प्रौद्योगिकियां

सैल तथा पैकेट आधारित नेटवर्क पीएसटीएन आधारित दूरसंचार नेटवर्कों के विकास की अगली पीढ़ी के नेटवर्क हैं। बड़े दूरसंचार नेटवर्कों में इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) के प्रयोग से उपभोक्ताओं को बहुत ही कम कीमत में गुणवत्ता वाली सेवा की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है।

सी–डॉट की सैल आधारित एटीएम प्रणाली को रक्षा क्षेत्र में प्रयोग के लिए रखा गया है। इस समय चल रहे सहयोगात्मक कार्यक्रम में भारत की तीनों सशस्त्र सेनाओं की विशिष्ट नेटवर्किंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ व्यावसायिक समझौते के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए इन प्रणालियों को तैयार किया जा रहा है।

बीएसएनएल नेटवर्क में सी–डॉट एनजीएन (नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क)

बीएसएनएल नेटवर्क में सी–डॉट एनजीएन समाधान के फील्ड परीक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्लास 4 (आईपी टैक्स) तथा क्लास 5 (उपभोक्ता)

सेवाओं के परीक्षण के लिए रणनीतिपरक साझेदारों के साथ गुड़गॉव, नोएडा तथा बंगलूर में आबंटित स्थलों पर फील्ड परीक्षण प्रगति पर है।

एटीएम (एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड) आधारित एकीकृत शिपबोर्ड डाटा नेटवर्क (एआईएसडीएन–17) के लिए नेटवर्क विश्वसनीयता तथा अनुकूलन

एआईएसडीएन–17 नौसेना परियोजना के लिए रक्षा अनुकूलन तथा नेटवर्क विश्वसनीयता हेतु एटीएम का स्वीकार्यता परीक्षण, जिसमें एटीएम स्विच, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट (एनआईयू), नेटवर्क हेल्थ मॉनीटरिंग प्रणाली (एनएचएमएस), निष्पादन मॉडलिंग तथा विलम्बता मापांकन इत्यादि का अनुकूलन शामिल है, पूर्ण हो चुका है तथा इस संबंध में सूचना शामिल की जा रही है। प्रणाली को वैधीकरण के लिए भेजा गया है जो शीघ्र ही पूरे होने की संभावना है।

वायरलैस और मोबाइल संचार

यह स्कीम लागत प्रभावी ग्रामीण वायरलैस अभिगम्यता और ब्रॉडबैंड समाधान के विकास से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत विकास में सभी आईपी वायरलैस अभिगम्यता तथा ब्रॉडबैंड समाधान का डिजाइन और विकास शामिल है जो मौजूदा पीएसटीएन नेटवर्क अवसंरचना में काम करता है। इस समाधान के दो अंग हैं :

ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रों तक वाइस संचार सेवा को सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो (एसडीआर) पर आधारित जीएसएम प्रौद्योगिकी तथा बाद में सीडीएमए वायरलैस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए विस्तार करना। ये सेवाएं

व्यक्तिगत ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगार जैसे सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों को आसान बनाने के लिए ब्राडबैंड वायरलैस सेवाओं का प्रावधान।

वायरलैस अभिगम्यता प्रणाली

इसके लिए फील्ड परीक्षण का स्थल आबंटित तथा फील्ड में उपस्कर लगाया जा चुका है। फ्रीक्वैंसी आबंटन होते ही पायलट/फील्ड परीक्षण शुरू हो जाएगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र परियोजनाएं

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए परियोजनाओं में नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली, उपग्रह आधारित सम्पर्कता, सॉफ्टस्विच आधारित पैकेट प्रौद्योगिकी तथा मौजूदा प्रणालियों के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन समर्थन से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

तकनीकी समर्थन सेवाएं

फील्ड समर्थन तथा उत्पाद समर्थन संवर्धन

सी–डॉट नेटवर्क में मौजूदा प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए आवश्यक होने पर फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण देने और नेटवर्क में सुधार के जरिए उत्पाद समर्थन देना जारी रखता है तथा पुराने हो चुके अवयवों को बदलने संबंधी सहयोग भी देता है। स्विचिंग प्रणाली में सी–डॉट द्वारा किए गए विभिन्न संवर्धन इस प्रकार हैं:–

सी–डॉट मैक्स प्रौद्योगिकी संवर्धन – फीचर तथा बग फिक्सिंग इत्यादि

सी–डॉट स्विचिंग प्रणाली (मैक्स–एक्सएल तथा एसबीएम–एक्सएल) के लिए नया सॉफ्टवेयर 2218 (3.6) विकसित किया गया है। विभिन्न फील्ड स्थलों से बताए गए मीटरिंग तथा आईओपी स्थिरता संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए लैब परीक्षण किया जा रहा है। लैब वैधीकरण सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर इसके व्यापक प्रसार के लिए जल्द ही सॉफ्ट्वेयर लिंक फील्ड स्थलों पर भेजा जाएगा।

अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सैंट्रेक्स फीचर इत्यादि के लिए एक नया क्लीन लिंक 2_2_1_9 भी

विकसित किया गया है जो इस समय लैब परीक्षण के अंतर्गत है, इस लिंक को व्यक्तिगत रिंगबैक टोन (पीआरबीटी), व्यस्त उपभोक्ताओं को कॉल समाप्ति (सीसीबीएस) तथा मैसेज प्रतीक्षा संकेत (एमडब्ल्यूआई) इत्यादि जैसी बीएसएनएल की अन्य आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपडेट किया जाएगा।

सी–डॉट रैक्स प्रौद्योगिकी संवर्धन – फीचर, बग फिक्सिंग इत्यादि

संपर्क की स्वतः बहाली के लिए सॉफ्टवेयर रूपांतर एएनआर–एफ 02–012.2 (पूर्व रूपांतर की तरह मैन्युअल रिसैट प्रचालन रोकने के लिए) का टीईसी परीक्षण तथा बीएसएनएल नेटवर्क में सेलम (तमिलनाडु) में सी–डॉट मैक्स–एक्सएल से जुड़े एएन रैक्स के 8 स्थलों पर फील्ड परीक्षण पूर्ण हो चुका है। स्थलों पर इसके लगाए जाने को अनुमोदन दे दिया गया है।

एएन–रैक्स (आईएसडीएन) प्रणाली – सी–डॉट एएन–रैक्स प्रौद्योगिकी का उन्नयन प्रणाली में आईएसडीएन क्षमता प्रदान करने के लिए एक अलग सैट–टॉप बॉक्स के रूप में अतिरिक्त कॉम्पैक्ट आईएसडीएन टर्मिनल यूनिट हार्डवेयर (सीआईटी) के विकास से किया गया है। इसके टीईसी परीक्षण तथा स्थानीय एक्सचेंज के रूप में ओसीबी – 283 तथा सी–डॉट एसबीएम–वीई के साथ फील्ड परीक्षण सफल होने के बाद इस प्रणाली को सॉफ्टवेयर रूपांतर एएनआर–एफ02–110 के साथ प्रौद्योगिक अनुमोदन दे दिया गया है । फील्ड में मौजूदा सी–डॉट 256 पीरैक्स तथा एएन रैक्स को आईएसडीएन क्षमता सहित उन्नत बनाया गया है।

व्यवसाय संवर्द्धन कार्यकलाप

सी–डॉट ने बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के जीएसएम नेटवर्क में मिस्ड कॉल अलर्ट (एमसीए) लगाया है।

एमटीएनएल ने सी–डॉट के ''वीसीसी (वर्च्युअल कार्ड कॉलिंग) कार्ड के फर्स्ट कॉल एक्टिवेशन'' संबंधी व्यावसायिक प्रस्ताव को दिल्ली में एमटीएनएल के जीएसएम नेटवर्क में लगाने के लिए आईएन सेवाओं के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया है।

बीएसएनएल तथा अन्य सरकारी एजेंसियों को ''सी–डॉट मैक्स–एल/एक्सएल से सीडीआर के कॉम्पैक्ट एम्बेडेड प्रणाली (सीईएस) ऑनलाइन एकत्रण'', उपभोक्ता प्रबंधन (एमएम), फंक्शनलिटी सी–डॉट एनएमएस'', ''लॉपुल इंटरसैप्शन प्रणाली एलआईएस'' संबंधी तकनीकी–व्यावसायिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।

सी–डॉट ने मैसर्स जॉल्टेड इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम्स प्रा.लि. के साथ बीएसएनएल को जी–पॉन आधारित एफटीटीएच (फाइबर–टु–द–होम) प्रणाली के लिए रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है।

सी–डॉट ने बीएसएनएल के एक क्षेत्र में वीओआईपी उपस्कर की आपूर्ति, स्थापना, चालू करने और तकनीकी समर्थन के लिए निविदा हेतु अपने नीतिपरक भागीदार के साथ निविदा प्रस्तुत की है।

सी–डॉट ने डीआरडीओ को स्वदेशी नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (एनएमएस) विकसित करने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है।

सी–डॉट ने बीएसएनएल के नेटवर्क में सी–डॉट स्थानीय नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (एलएलएमएस), टैक्स प्रबंधन तथा जीएसएम नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली (जीएनएमएस) लगाने के लिए बीएसएनएल के साथ समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में सैल्यूलर मोबाइल सेवाओं के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के वास्ते सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि प्रशासन (यूसोफा) के साथ भी समझौता–ज्ञापन किया गया है।

सी–डॉट ने 'ए नोबेल आर्किटैक्चर फॉर ए मैसेज बस' के संबंध में यूएस पेटेंट आवेदन भी दिया है। सी–डॉट ने सी–डॉट हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन (सीएचवीपी) सी–डॉट रैक्स तथा मैक्स प्रौद्योगिकियों संबंधी आईपीआर के लिए भी आवेदन किया है।

प्रदर्शनियां तथा सम्मेलन

सी–डॉट ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 4–6 दिसंबर, 06 तक आयोजित ''इंडिया आर एंड डी 2006:माइंड टु मार्किट'' में हिस्सा लिया। यह प्रदर्शनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन तथा सीएसआईआर के साथ सहयोग से फिक्की ने आयोजित की थी। माननीय राष्ट्रपति ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

सी–डॉट ने दूरसंचार विभाग द्वारा फिक्की और टेमा के सहयोग से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी ''इंडिया टेलीकॉम 2006'' में भाग लिया। 14–16 दिसंबर, 06 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ माननीय राष्ट्रपति जी ने किया।

सी–डॉट ने नई दिल्ली में 20–22 मार्च, 07 तक आयोजित ''कन्वर्जेंस इंडिया 2007'' में हिस्सा लिया।

सी–डॉट में हिन्दी को प्रोत्साहन

सी–डॉट में भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विविध प्रयास किए जा रहे हैं । इस संबंध में बहुत से नवीन और भिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए हैं । दिल्ली और बंगलूर, दोनों केन्द्रों में हिन्दी में तकनीकी संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया। सी–डॉट ने 14–28 सितम्बर, 2006 तक हिन्दी उत्सव का आयोजन किया। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और लेखिका कृष्णा सोबती ने उत्सव का उद्घाटन किया। पखवाड़े के दौरान श्री अशोक चक्रधर और श्री सुरेन्द्र शर्मा जैसे रचनाकारों को आमंत्रित किया गया। दोनों केन्द्रों में हिन्दी दिवस के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।

राजभाषा संबंधी माननीय संसदीय समिति ने सी–डॉट में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति का निरीक्षण किया तथा इसमें और सुधार के लिए सुझाव दिए।

सीएमएमआई पहल

उत्पाद विकास और समर्थन सेवाओं संबंधी सभी कार्यकलापों के लिए प्रक्रियाओं की विस्तृत परिभाषा पूर्ण कर ली गई है। ये प्रक्रियाएं पूरे संगठन में सभी परियोजनाओं के लिए लागू हैं तथा इंजीनियरिंग, समर्थन, परियोजना प्रबंधन और प्रक्रिया प्रबंधन कार्यकलापों को परिभाषित करती हैं। ये सीएमएमआई मॉडेल के परिपक्वता स्तर 3 प्रक्रिया क्षेत्र तक मापांकन योग्य है।

इन प्रक्रियाओं के निष्पादन में सहयोग के लिए दिशानिर्देशों, टैम्पलेट, प्रपत्र, जांचसूची और भंडार सहित संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) तैयार कर ली गई है। प्रयोक्ता अभिमुखीरकण पूर्ण कर लिया गया है तथा प्रणाली संगठन की परियोजनाओं में रोल–आउट तथा कार्यान्वयन के लिए तैयार है।

वर्ष 2006–2007 के लेखों का विवरण

वित्तीय विशेषताएं 13

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन मंडल के उत्तर 16

अंकेक्षित लेखे 19

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 34

लेखाओं पर टिप्पणी 48

पूंजीगत परिसम्पत्तियों में सकल वृद्धि
वर्ष 2002–2003 से 2006–2007 तक

(रू. करोड़ में)

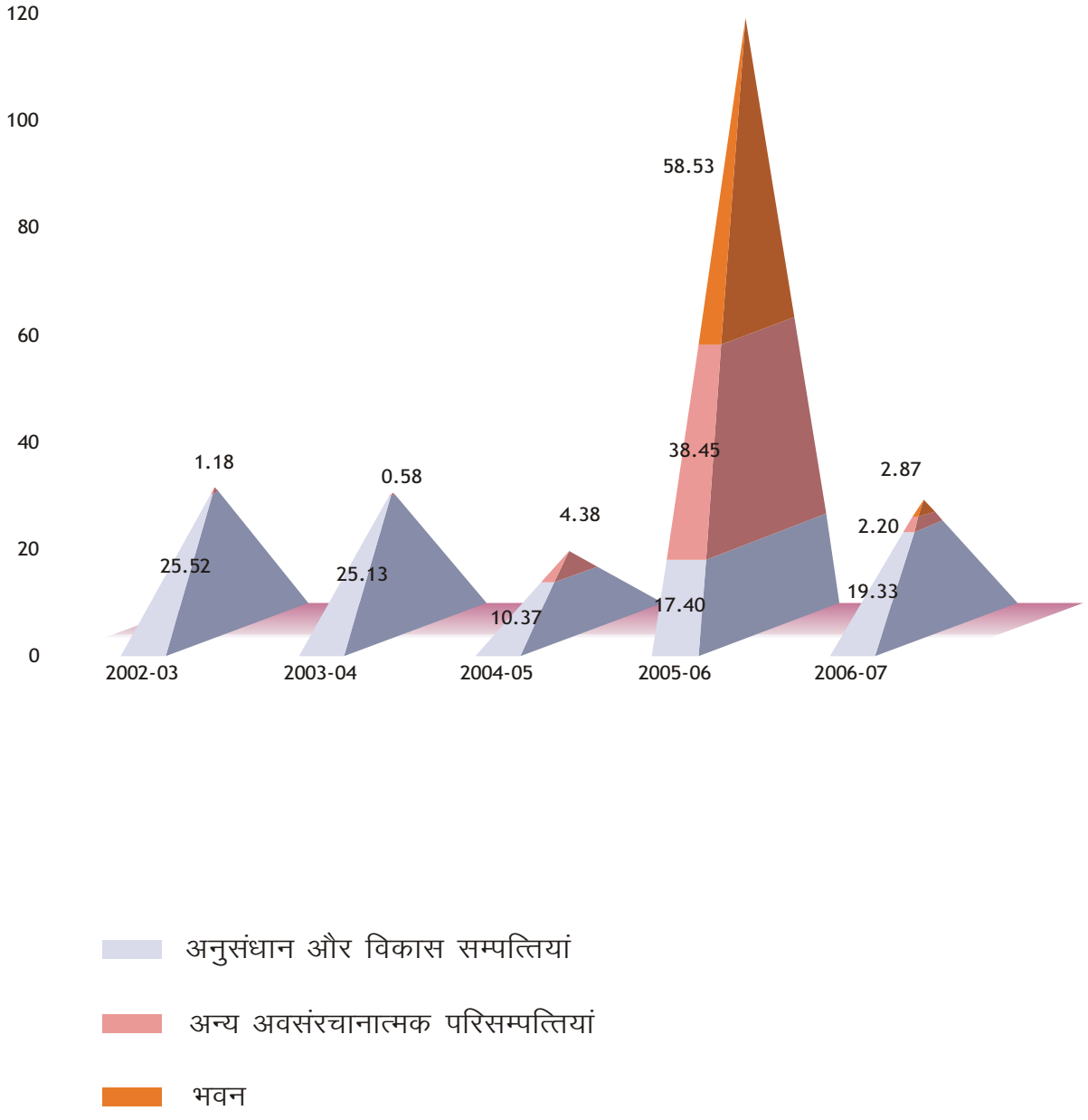

31.03.2007 तथा 31.03.2006 को लाइसेंसधारकों से वसूलीयोग्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/रॉयल्टी

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	लाइसेंसधारक	31.03.2007 को बकाया राशि	31.03.2006 को बकाया राशि	अभ्युक्ति
	पीएसयू– (क)			
1	बीईएल	0.47	0.49	
2	बीएचईएल	0.60	0.90	
3	ईसीआईएल	0.46	1.21	
4	आईएलकोटा	1.90	2.17	
5	आईटीआई	22.80	22.80	सी–डॉट ने बंगलूर में इस कंपनी का भवन तथा खुली जमीन को अपने स्वामित्व में लिया है।
6	पीसीएल	1.89	2.72	बकाया राशि को चरणबद्ध तरीके से समायोजित किया जा रहा है।
	उप–योग (क)	28.12	30.29	
	गैर–पीएसयू (ख)			
1	एचटीएल	6.59	6.35	चरणबद्ध तरीके से राशि वसूलने के प्रयास किये जा रहे हैं।
2	सीजीएल	2.05	2.20	कानूनी कार्यवाही पर विचार
3	आरटीएल	0.23	0.43	कानूनी कार्यवाही पर विचार
4	यूटीएल	0.32	0.82	वर्ष के दौरान 50 लाख रू. की राशि वसूली गई। शेष राशि के लिए उत्तर दिनांकित चैक प्राप्त किए गए
5	अन्य	0.05	0.05	राशि वसूलने के प्रयास किए जा रहे हैं
	उप–योग (ख)	9.24	9.85	
	योग (क)+(ख)	37.36	40.14	

पिछले पांच वर्ष के अंत में नेटवर्थ

(रू. करोड़ में)

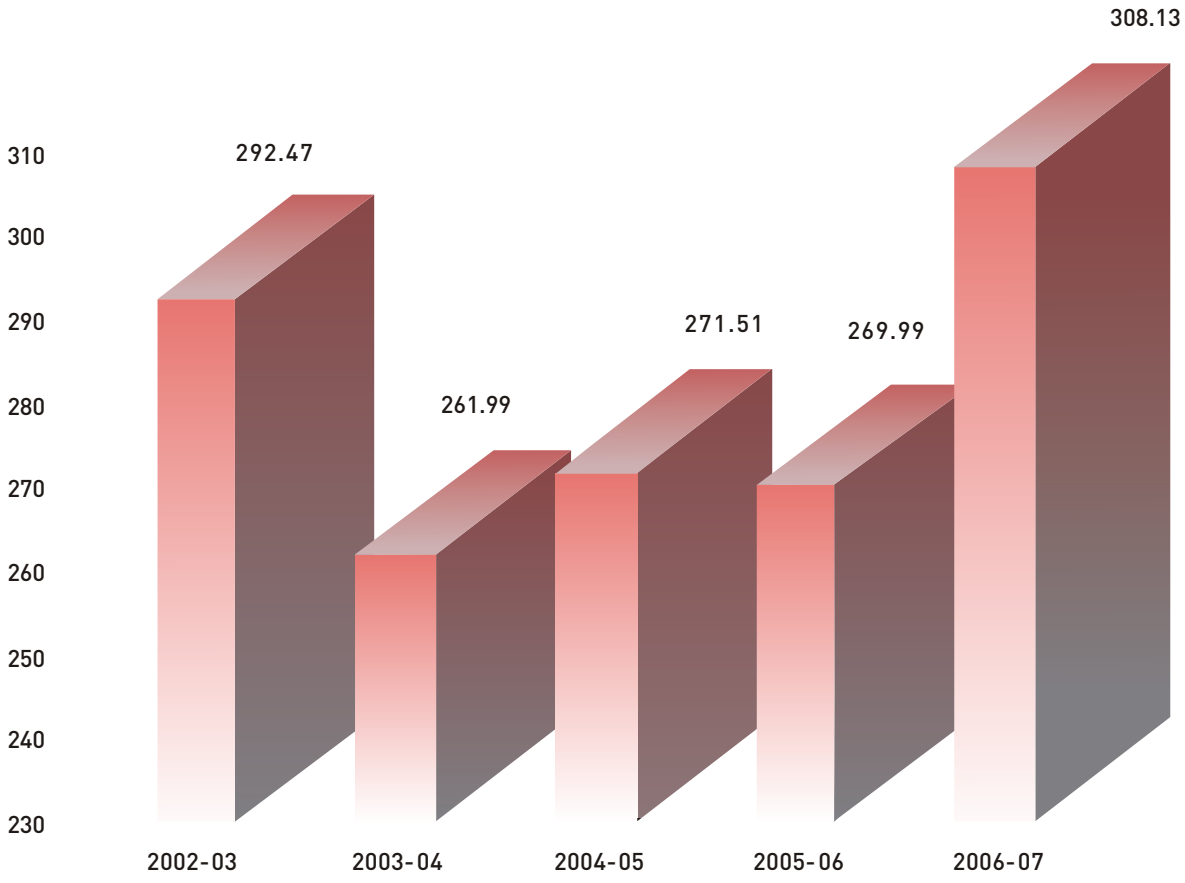

31 मार्च 2007 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के खातों के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं उनके संबंध में प्रबंधन मंडल के उत्तर

सेवा में,

सदस्यगण,
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (केन्द्र)

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन मंडल का उत्तर
1	हमने टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र के 31 मार्च 2007 तक के तुलनपत्र और इसी तारीख को समाप्त वर्ष के प्राप्ति और भुगतान लेखा तथा व्यय लेखे, जो उसके साथ संलग्न हैं, की लेखा परीक्षा की है। रिपोर्ट इस पत्र के साथ संलग्न है। इन वित्तीय विवरणिकाओं के लिए केन्द्र का प्रबंधन मंडल उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणिकाओं के बारे में अभिमत व्यक्त करना है।	वित्तीय विवरण तैयार करना केन्द्र की जिम्मेदारी है। लेखा–परीक्षकों को केंद्र द्वारा वर्षानुवर्ष तैयार किए गए विवरणों पर अपनी राय मात्र देनी होती है। इस प्रकार, यह टिप्पणी तथ्यपरक है।
2	हमने अपना लेखा परीक्षण भारत में सामान्य रूप से अपनाए गए लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है। ये मानक अपेक्षाएं करते हैं कि हम अपने लेखा परीक्षण की योजना व निष्पादन इस तरह से करें कि इस बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो जाए कि क्या वित्तीय विवरणिकाएं सामग्री अयथार्थ विवरण से मुक्त हैं। लेखा परीक्षण में परीक्षण आधार पर जांच, राशियों के समर्थन में प्रमाण और वित्तीय विवरणिकाओं का प्रकटीकरण शामिल होता है। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण, और प्रबंधन मंडल द्वारा तैयार किया गया महत्वपूर्ण प्राक्कलन तथा समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षण हमारे अभिमत के लिए युक्तियुक्त आधार उपलब्ध कराता है।	यह टिप्पणी भी तथ्यपरक है। लेखा–परीक्षकों ने वर्ष 2006–2007 के वित्तीय विवरण की लेखा–परीक्षा इन विवरणों में दर्शाई गई जानकारी के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य तथा इस उद्देश्य के लिए अपनाए गए सिद्धांतों के आधार पर की है।
3	लेखा के हिस्से के रूप में अनुसूची–15– महत्वपूर्ण लेखा नीतियां की टिप्पणी सं. 12 (ख) के संदर्भ में ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो योग्य कार्मिकों का हिसाब नगद आधार पर लगाने के बारे में है।	(क) पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी : यद्यपि हमने सभी व्यय की गणना के लिए प्रोद्भवन प्रणाली का प्रयोग किया है, तथापि पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के मामले में, हम ग्रेच्युटी राशि का निपटान 'जब जाओ भुगतान पाओ' पद्धति को अपनाकर करते हैं। यह पद्धति सी–डॉट में शुरूआत से है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में केन्द्र को छोड़कर जाने वाले इंजीनियरों की संख्या

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन मंडल का उत्तर

काफी अधिक है। अतः अब तक यह महसूस किया गया कि पात्र कर्मचारियों को वास्तविक आधार पर ग्रेच्युटी देयता की गणना की जाए तथा इसी के आधार पर लेखाओं में इसका प्रावधान किया जाए।

यह प्रथा प्रत्येक वर्ष के लिए अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों संबंधी विवरण में दर्शाई जाती है, क्योंकि यह वास्तविक आधार पर व्यय की गणना के लिए सामान्य नीति से भिन्न है।

(ख) पात्र कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का भुगतानः

1. इस शीर्ष के अंतर्गत व्यय का लेखांकन भी प्रोद्भवन आधार पर नही किया जाता है।
2. अतः केन्द्र के लेखाओं में प्रत्येक वर्ष कोई प्रावधान नहीं किया जाता।
3. इसका ब्योरा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के विवरण में दिया गया है।
4. यह निम्नलिखित तथ्यों के कारण है :

- शासी परिषद् ने 30 मार्च 1999 को आयोजित अपने बैठक के निर्णय लिया था कि पात्र कर्मचारियों को दूरसंचार विभाग के समकक्ष कर्मचारियों के समान बोनस का भुगतान किया जाए।
- 1999 में दूरसंचार विभाग ने अपने पात्र कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़ा बोनस (पीएलबी) देने का निर्णय लिया। तदनुसार, सी–डॉट ने भी केन्द्र के पात्र कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान करने का फैसला किया।
- तथापि, वर्ष 2000 के बाद से, जब दूरसंचार विभाग भारत संचार निगम लि. के गठन के बाद से व्यावसायिक विभाग नहीं रहा, बोनस का पैटर्न बदल दिया गया और पीएलबी के स्थान पर तदर्थ आधार पर इसका भुगतान किया गया।
- सी–डॉट में पात्र कर्मचारियों को इसके भुगतान का जारी रहना प्रत्येक वर्ष दूरसंचार विभाग की नीति पर निर्भर करता है।
- अतः सी–डॉट के लेखाओं में प्रत्येक वर्ष ऐसे बोनस का प्रावधान नहीं किया जा सकता।

क्र.सं.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	प्रबंधन मंडल का उत्तर
4	उपर्युक्त के अध्यधीन हम रिपोर्ट देते हैं कि : 1. हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं। 2. हमारे विचार से और जैसा कि बही–खातों की जांच के अनुसार केन्द्र ने विधि द्वारा अपेक्षानुसार समुचित बही–खाता रखे हुए हैं । 3. इस रिपोर्ट में दिया गया तुलनपत्र, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा और आय एवं व्यय लेखा, जिनके बारे में यह रिपोर्ट है, वे ऐसे बही–खातों से मेल खाते हैं । 4. हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त दस्तावेजों को उनसे संबंधित **टिप्पणियों** की शर्त के साथ पढ़ने पर भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और सच्चा चित्र प्रस्तुत करती हैं: क. 31 मार्च 2007 तक केन्द्र के कार्यो से संबंधित तुलन–पत्र के मामले में; ख. इसी तारीख तक आय और व्यय के लेखे एवं वर्ष के अंत तक आय से अधिक व्यय की अधिकता के मामले में तथा ग. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राप्ति एवं भुगतान लेखा इसी तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान किए गए प्राप्ति और भुगतान के सार के मामले में ।	तथ्यपरक है, अतः कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं।

कृते के. वेंकटाचलम अय्यर एंड कं.
सनदी लेखापाल

ह/–
एम. शिवकुमार
भागीदार
सदस्यता सं. 23844
बंगलूर
8 जून 2007

कृते सेंटर फॉर डेवलपमैंट ऑफ टेलीमैटिक्स

ह/–
विजय मदान
कार्यकारी निदेशक

31 मार्च.... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

(रूपये में)

	अनुसूची सं.	2007	2006
समग्र / पूंजीगत निधि और देयताएं			
समग्र / पूंजीगत निधि	1	3,046,631,075.07	2,665,208,131.69
सुरक्षित तथा अतिरेक राशियां	2	34,658,685.67	34,658,685.67
चालू देयताएं और प्रावधान	3	182,451,948.30	147,340,662.18
योग		3,263,741,709.04	2,847,207,479.54
परिसम्पत्तियां			
स्थायी परिसम्पत्तियां	4		
सकल मान		4,238,553,698.26	4,054,388,920.77
घटाएं: मूल्यह्रास		2,702,232,735.85	2,490,584,420.30
निविल मान		**1,536,320,962.41**	**1,563,804,500.47**
मार्गस्थ परिसम्पत्ति	4	2,722,125.00	9,188,045.44
भंडार में पूंजीगत मदें	4	1,217,072.00	0.00
पूंजीगत कार्य प्रगति में	5	880,719.00	180,719.00
निवेश–दीर्घकालीन	6	390,000,000.00	130,000,000.00
चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम और जमा	7	1,332,600,830.63	1,144,034,214.63
योग		**3,263,741,709.04**	**2,847,207,479.54**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	15		
लेखांकन के संबंध में टिप्पण	16		

अनुसूचियां 1 से 7, 15 और 16 तुलनपत्र के अभिन्न अंग हैं।

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के बोर्ड के निमित्त और उसकी ओर से

ह/–
पी. वेंकटेसन
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/–
विजय मदान
कार्यकारी निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते के. वेंकटाचलम अय्यर एंड कं.
सनदी लेखापाल

स्थान: बंगलूर
दिनांक: 8 जून, 2007

ह/–
एम. शिवकुमार
भागीदार,
सदस्यता सं 23844

आय और व्यय लेखे

31 मार्च.... को समाप्त वर्ष के लिए

(रूपये में)

	अनुसूची सं.	2007	2006
आय			
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुल्क, रॉयल्टी, एफएसआर तथा प्रकाशन	8	462,977,486.00	43,081,460.00
अर्जित ब्याज	9	6,096,803.68	30,138,381.85
अन्य आय	10	14,700,608.45	16,425,211.35
योग (क)		**483,774,898.13**	**89,645,053.20**
व्यय			
स्थापना व्यय	11	371,969,352.61	369,413,374.99
प्रचालन व्यय	12	139,418,677.30	97,461,624.28
अन्य प्रशासनिक व्यय	13	145,527,802.89	170,241,894.70
मूल्य ह्रास	4	232,103,198.31	234,509,700.75
योग (ख)		**889,019,031.11**	**871,626,594.72**
इस वर्ष की आय से अधिक व्यय ग = (ख – क)		**405,244,132.98**	**781,981,541.52**
जोड़ें/घटाइए(–): पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन राशि	14	33,332,923.64	-14,624,738.48
आय से अधिक व्यय होने की अधिक राशि का शेष		**438,577,056.62**	**767,356,803.04**
जोड़ें: पिछले वर्षों की आय से अधिक व्यय		8,030,145,030.43	7,262,788,227.39
समग्र निधि/पूंजीगत निधि से अग्रेनीत घाटा का शेष		**8,468,722,087.05**	**8,030,145,030.43**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	15		
लेखांकन के संबंध में टिप्पण	16		

अनुसूचियां 4, 8 से 16 आय और व्यय लेख के अभिन्न अंग हैं।

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स के बोर्ड के निमित्त और उसकी ओर से

ह/–
पी. वेंकटेसन
मुख्य वित्त अधिकारी

ह/–
विजय मदान
कार्यकारी निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न अलग रिपोर्ट के अनुसार
कृते के. वेंकटाचलम अय्यर एंड कं.
सनदी लेखापाल

स्थान: बंगलूर
दिनांक: 8 जून, 2007

ह/–
एम. शिवकुमार
भागीदार,
सदस्यता सं 23844

अनुसूची 1 – समग्र/पूंजीगत निधि

(31 मार्च.... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का भाग)

(रूपये में)

	2007		2006	
इलैक्ट्रॉनिकी विभाग से अनुदान (वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)				
संचित शेष राशि		335,200,000.00		335,200,000.00
दूरसंचार विभाग से अनुदान				
वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि	10,360,153,162.12		9,608,953,162.12	
जोड़ें: वर्ष के दौरान समग्र/पूंजीगत निधि के प्रति अंशदान	820,000,000.00	11,180,153,162.12	751,200,000.00	10,360,153,162.12
उप–योग (क)		**11,515,353,162.12**		**10,695,353,162.12**
घटाएं: आय और व्यय लेखा से अंतरित निवल व्यय की शेष राशि (ख)		8,468,722,087.05		8,030,145,030.43
उप–योग (ख)		8,468,722,087.05		8,030,145,030.43
योग (क) – (ख)		**3,046,631,075.07**		**2,665,208,131.69**

अनुसूची 2 – सुरक्षित तथा अतिरेक राशियां

(31 मार्च.... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का भाग)

(रूपये में)

	2007		2006	
सामान्य सुरक्षित निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	34,658,685.67		34,658,685.67	
जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00	34,658,685.67	0.00	34,658,685.67
योग		**34,658,685.67**		**34,658,685.67**

अनुसूची 3 – चालू देयताएं और प्रावधान

(31 मार्च.... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का भाग)

(रूपये में)

	2007		2006	
चालू देयताएं और प्रावधान				
1. विविध लेनदार				
क) सामान के लिए	16,311,542.00		12,135,422.69	
ख) अन्य	66,695,251.00	83,006,793.00	55,299,997.00	67,435,419.69
2. प्राप्त अग्रिम				
– निधिक परियोजनाओं के लिए		52,599,776.22		29,497,629.45
3. सांविधिक देयताएं		5,965,931.00		6,190,881.00
4. अन्य चालू देयताएं		40,879,448.08		44,216,732.04
योग		**182,451,948.30**		**147,340,662.18**

अनुसूची 4 – स्थायी परिसम्पत्तियां

(31 मार्च.... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का भाग)

(रूपये में)

	सकल मान				मूल्यह्रास				निवल मान	
	01.04.2006 को	वृद्धियां	समायोजन/बट्टे खाते में	31.03.2007 को	01.04.2006 को	वर्ष के दौरान	समायोजन/बट्टे खाते में	31.03.2007 को	31.03.2007 को	31.03.2006 को
भूमि–फ्रीहोल्ड	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00
भवन–कार्यालय	585,003,457.00	28,710,628.00	(43,564,750.35)	570,149,334.65	58,500,345.70	51,600,546.40	(4,356,475.04)	105,744,417.06	464,404,917.59	526,503,111.30
भवन–आवासीय	23,627,434.00	0.00	0.00	23,627,434.00	9,325,394.24	715,101.99	0.00	10,040,496.23	13,586,937.77	14,302,039.76
अनुसंधान तथा विकास मशीनरी	2,062,586,781.85	168,105,779.00	(1,259,243.00)	2,229,433,317.85	1,589,832,526.95	96,101,901.46	(1,078,552.15)	1,684,855,876.26	544,577,441.59	472,754,254.90
अनुसंधान तथा विकास कम्प्यूटर	648,129,279.34	25,232,189.44	(14,094,675.00)	659,266,793.78	627,954,265.73	27,235,518.34	(14,080,002.52)	641,109,781.55	18,157,012.23	20,175,013.61
कार्यालय उपस्कर एवंस ामान	335,792,404.56	8,543,150.00	(917,867.00)	343,417,687.56	101,982,562.31	36,354,254.96	(926,574.45)	137,410,242.82	206,007,444.74	233,809,842.25
फर्नीचर और फिटिंग्स	241,503,120.31	12,169,993.00	0.00	253,673,113.31	65,242,881.66	18,843,023.16	0.00	84,085,904.82	169,587,208.49	176,260,238.65
पुस्तकालय	37,746,443.71	1,252,852.00	(13,278.60)	38,986,017.11	37,746,443.71	1,252,852.00	(13,278.60)	38,986,017.11	0.00	0.00
योग	**4,054,388,920.77**	**244,014,591.44**	**(59,849,813.95)**	**4,238,553,698.26**	**2,490,584,420.30**	**232,103,198.31**	**(20,454,882.76)**	**2,702,232,735.85**	**1,536,320,962.41**	**1,563,804,500.47**
मार्गस्थ परिसम्पत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	2,722,125.00	9,188,045.44
भंडार में पूंजीगत मदें	-	-	-	-	-	-	-	-	1,217,072.00	0.00
पिछले वर्ष का योग	**2,968,936,421.59**	**1,143,805,569.89**	**(58,353,070.71)**	**4,054,388,920.77**	**2,312,516,106.97**	**234,509,700.75**	**(56,441,387.42)**	**2,490,584,420.30**	**1,563,804,500.47**	**656,420,314.62**

अनुसूची 5 – पूंजीगत कार्य प्रगति पर

(31 मार्च .... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का भाग)

(रूपये में)

	01.04.2006 को	वृद्धियां	समायोजन(+/-)	आय–व्यय खाते में अंतरण	स्थायी परिसम्पत्तियों के खाते में अंतरण	31.03.2007 को	31.03.2006 को
कार्यालय परिसर– दिल्ली							
1. मुख्य अनुसंधान एवं विकास भवन	0.00	28,710,628.00	0.00	0.00	-28,710,628.00	0.00	0.00
2. इलैक्ट्रो–मैकेनिकल सेवाएं	0.00	904,928.00	0.00	0.00	-904,928.00	0.00	0.00
3. परिसर–आवासीय भवन	180,719.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	880,719.00	180,719.00
योग	**180,719.00**	**30,315,556.00**	**0.00**	**0.00**	**-29,615,556.00**	**880,719.00**	**180,719.00**
पिछले वर्ष का शेष	829,410,883.30	61,638,031.00	25,838,668.00	23,508,907.70	-940,215,771.00	180,719.00	875,088,460.30

अनुसूची 6 – निवेश–दीर्घकालीन

(31 मार्च.... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का भाग)

(रूपये में)

	पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य (रू.)	2007	2006
अनुधृत				
संयुक्त उद्यम कम्पनी				
1. सी–डॉट अलकाटेल रिसर्च सेंटर प्रा. लि. (सीएआरसी)	39,000,000	10	390,000,000.00	130,000,000.00
	योग		**390,000,000.00**	**130,000,000.00**

अनुसूची 7 – चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम और जमा राशि

(31 मार्च... की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र का भाग)

(रूपये में)

	2007		2006	
क. चालू परिसम्पत्तियां				
1. सामान सूची (प्रबंधन मंडल द्वारा अधीनीकृत मूल्यांकित और प्रमाणित)				
क. सामान सूची	158,130,781.51		177,620,972.98	
ख. मार्गस्थ सामान सूची	589,154.00	158,719,935.51	1,231,200.50	178,852,173.48
2. बैंक में जमा राशि				
क. अनुसूचित बैंकों में				
जमा खातों में	74,437,302.06		218,122,591.00	
बचत खातों में	18,914,863.75	93,352,165.81	11,066,031.55	229,188,622.55
योग – (क)		**252,072,101.32**		**408,040,796.03**
ख. ऋण और अग्रिम				
1. ऋण				
क. स्टॉफ		1,875,291.00		2,503,085.00
2. अग्रिम और अन्य राशियां, जिनकी वसूली नकद या वस्तु के रूप में की जानी है या जिनका मूल्य प्राप्त किया जाना है				
क. ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता	404,106,376.71		414,083,175.01	
ख. कर्मचारी	105,944.00		190,858.69	
ग. पूर्वदत्त व्यय	1,929,343.00	406,141,663.71	7,163,707.75	421,437,741.45
3. उपार्जित ब्याज				
क. ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता	220,393.00		294,517.21	
ख. बैंक जमा राशि पर	530,099.29	750,492.29	1,104,438.00	1,398,955.21
4. वसूलीयोग्य दावे		639,104,739.31		285,934,266.94
5. स्रोत पर कटौती		23,940,011.00		14,507,409.00
योग – (ख)		**1,071,812,197.31**		**725,781,457.60**
ग. जमा राशि				
क. कार्यालय भवन	45,000.00		45,000.00	
ख. अन्य	8,671,532.00		10,166,961.00	
योग– (ग)		**8,716,532.00**		**10,211,961.00**
योग (क+ख+ग)		**1,332,600,830.63**		**1,144,034,214.63**

अनुसूची 8 – प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रॉयल्टी, एफएसआर तथा प्रकाशन से आय

(31 मार्च.... को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में)

(रूपये में)

	2007		2006	
1) रॉयल्टी से आय				
– नकद प्राप्त	0.00		0.00	
– उपार्जित आधार पर संगणित	0.00	0.00	0.00	0.00
2) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से आय				
– नकद प्राप्त	5,000,000.00		1,700,000.00	
– उपार्जित आधार पर संगणित	0.00	**5,000,000.00**	0.00	**1,700,000.00**
3) कार्यक्षेत्र सहयोग से आय		**457,880,186.00**		**40,459,730.00**
4) प्रकाशनों से आय				
क) परिसर–निविदा दस्तावेजों की बिक्री	0.00		844,818.00	
ख) अन्य	97,300.00	97,300.00	76,912.00	921,730.00
योग		**462,977,486.00**		**43,081,460.00**

अनुसूची 9 – अर्जित ब्याज

(31 मार्च.... को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में)

(रूपये में)

	2007	2006
1. अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा राशि पर	5,683,437.55	11,615,058.42
2. अनुसूचित बैंकों में बचत खातों पर	175,809.05	17,789.92
3. कर्मचारियों/स्टॉफ को दिए गए ऋण पर	237,557.08	358,820.51
4. परिसर संघटन अग्रिम पर	0.00	18,146,713.00
योग	**6,096,803.68**	**30,138,381.85**

अनुसूची 10 – अन्य आय

(31 मार्च.... को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में)

(रूपये में)

	2007	2006
1. परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ	472,801.22	300,246.16
2. विविध आय	12,316,409.13	10,984,532.95
3. विदेशी मुद्रा के लेन–देन के कारण लाभ	134,140.10	190,730.24
4. एकत्रित मुआवजा	1,777,258.00	4,949,702.00
योग	**14,700,608.45**	**16,425,211.35**

अनुसूची 11 – स्थापना व्यय

(31 मार्च.... को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में)

(रूपये में)

	2007	2006
क) वेतन और मजदूरी	213,752,302.00	210,002,338.00
ख) बोनस	700,422.00	784,506.00
ग) भविष्य निधि में अंशदान	17,916,162.00	16,807,676.00
घ) अन्य निधि में अंशदान	5,218,201.00	5,668,681.00
ड) कर्मचारियों को प्रदत्त ग्रेच्युटी	11,615,005.00	7,065,264.00
च) कर्मचारीवृन्द कल्याण व्यय	68,673,556.61	70,086,609.99
छ) आवासीय किराया और अनुरक्षण व्यय	52,293,050.00	54,537,790.00
ज) भर्ती और प्रशिक्षण व्यय	1,800,654.00	4,460,510.00
योग	**371,969,352.61**	**369,413,374.99**

अनुसूची 12 – प्रचालन व्यय

(31 मार्च.... को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में)

(रूपये में)

	2007	2006
क) अनुसंधान एवं विकास संघटक और उपभोज्य	77,209,640.55	50,519,826.98
ख) भाड़ा और अग्रेषण प्रभार	3,715,736.00	7,587,862.30
ग) अनुसंधान एवं विकास और कार्यालय उपकरणों की मरम्मत और अनुरक्षण	52,874,244.75	24,272,571.00
घ) अभिकल्प एवं विकास व्यय	4,859,675.00	14,730,194.00
ड) परामर्शदात्री व्यय	759,381.00	272,702.00
च) परीक्षण व्यय	0.00	78,468.00
योग	**139,418,677.30**	**97,461,624.28**

अनुसूची 13 – अन्य प्रशासनिक व्यय

(31 मार्च.... को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में)

(रूपये में)

	2007		2006	
क) यात्रा और वाहन व्यय		11,250,226.00		13,299,247.00
ख) वाहन–किराया प्रभार		482,606.00		382,935.00
ग) किराया, दरें और कर		823,930.00		22,946,421.00
घ) विद्युत और जल प्रभार		57,228,290.00		53,930,082.00
ड़) मरम्मत और अनुरक्षण–अन्य		42,890,101.23		38,765,765.50
च) समाचारपत्र, पत्रिकाएं जर्नल और सीडी		2,203,444.00		5,991,073.00
छ) बीमा प्रभार		1,145,286.00		1,345,200.00
ज) मुद्रण, लेखन सामग्री, फोटोकॉपी, प्रशासन संबंधी उपभोज्य		6,415,262.09		7,527,588.26
झ) डाक टिकट, टेलीफोन और सम्प्रेषण प्रभार		11,146,388.67		14,208,757.28
ञ) प्रदर्शनी, विज्ञापन और प्रचार व्यय		2,969,039.00		5,852,108.00
ट) सम्मेलन/संगोष्ठी/सदस्यता शुल्क पर व्यय		5,248,526.00		1,546,784.50
ठ) विधिक, व्यावसायिक शुल्क और मानदेय		861,036.00		973,164.00
ड) पेटेंट शुल्क		323,690.00		1,317,881.04
ढ) लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक				
लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक	142,545.00		142,545.00	
तुरंत देय व्यय	75,549.00		81,292.00	
अन्य सामर्थ्य में	0.00	218,094.00	15,000.00	238,837.00
ण) आतिथ्य/मनोरंजन व्यय		837,605.00		430,312.50
त) बैंक प्रभार		1,056,958.67		704,568.51
थ) विदेशी मुद्रा के लेन–देन के कारण घाटा		193,873.91		15,350.83
द) विविध व्यय		233,446.32		196,688.43
ध) परिसम्पत्ति की बिक्री पर घाटा		0.00		569,130.85
योग		**145,527,802.89**		**170,241,894.70**

अनुसूची 14 – पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजन (निवल)

(31 मार्च.... को समाप्त वर्ष के लिए आय–व्यय के भाग के रूप में)

(रूपये में)

	2007		2006	
	नामे	जमा	नामे	जमा
आय				
टीओटी, रॉयल्टी, एफएसआर तथा प्रकाशन	5,499,476.00	0.00	0.00	1,037,392.00
अर्जित ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य आय	982,963.00	0.00	180,320.00	0.00
व्यय				
स्थापना व्यय	4,332.00	0.00	0.00	0.00
प्रचालन व्यय	0.00	12,375,629.67	926,163.62	0.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	43,578,257.35	0.00	0.00	14,694,211.70
मूल्य	0.00	4,356,475.04	381.60	0.00
योग	**50,065,028.35**	**16,732,104.71**	**1,106,865.22**	**15,731,603.70**
निवलः नामे / जमा (–)	**33,332,923.64**			**14,624,738.48**

प्राप्तियां और भुगतान

(31 मार्च.... को समाप्त वर्ष के लिए)

(रूपये में)

प्राप्तियां	2007	2006	भुगतान	2007	2006
I. बैंक शेष			**I. व्यय**		
क. जमा खाते में	218,122,591.00	375,579,661.00	क. स्थापना व्यय	361,083,469.61	362,745,324.88
ख. बचत खाते में	11,066,031.55	-21,878,000.40	ख. प्रचालन व्यय	140,101,690.90	145,678,825.06
			ग. प्रशासनिक व्यय	155,649,268.62	189,063,353.68
II. प्राप्त अनुदान			**II. परियोजना प्रतिपूर्ति**		
– भारत सरकार से	680,000,000.00	789,800,000.00	**अदायगी**	3,901,883.25	4,268,791.99
III. प्रतिपूर्ति परियोजना			**III. अचल परिसम्पत्तियों एवं**		
प्राप्तियां	**32,701,071.00**	**29,223,015.00**	**पूंजीगत डब्ल्यूआईपी पर व्यय**		
			क. अचल परिसम्पत्तियों के लिए		
			भुगतान	73,963,336.25	142,296,115.18
IV. संयुक्त उद्यम प्राप्तियां	3,885,144.50	1,622,268.00	ख. पूंजीगत डब्ल्यू आई पी के		
V. प्राप्त ब्याज			लिए भुगतान	48,853,333.31	42,077,764.00
क. बैंक में जमा राशियों पर	6,429,699.60	11,830,372.34	**IV. संयुक्त उद्यम संबंधी अदायगी**		
ख. ऋण, अग्रिम आदि पर	159,949.00	183,365.00	क) निवेश	260,000,000.00	130,000,000.00
VI. अन्य आय			ख) अन्य	261,813.00	3,745,252.00
क. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	5,325,000.00	1,700,000.00	**V. ई.एम.डी/एस.डी.अदायगियां**	4,563,707.00	8,495,936.00
ख. रॉयल्टी	21,233,596.00	11,206,865.00	**VI. समापन शेष**		
ग. कार्यक्षेत्र सहायता प्राप्तियां	148,860,647.00	39,332,600.00	बैंक शेष		
घ. ई.एम.डी/एस.डी. प्राप्तियां	6,215,598.00	6,241,997.00	क. जमा खाते में	74,437,302.06	218,122,591.00
ड. विविध आय	7,731,340.10	12,717,842.40	ख. बचत खाते में	18,914,863.75	11,066,031.55
योग	**1,141,730,667.75**	**1,257,559,985.34**	**योग**	**1,141,730,667.75**	**1,257,559,985.34**

अनुसूची 15– महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(31 मार्च 2007 को समाप्त अवधि के लिए लेखा के भाग के रूप में)

1. सामान्य

क. इस अनुसूची के हिस्से के रूप में वित्तीय विवरण ''चालू महत्व की अवधारणा'' के अनुसार तैयार किए गए हैं।

ख. केंद्र सभी अनुसंधान और विकास प्रयास की पूरी लागत संबंधित वर्ष के आय तथा व्यय लेखे में ले रहा है।

2. विदेशी मुद्रा का लेन–देन

क. आय तथा व्यय लेखा को प्रभावित करने वाले लेन–देन को उनकी संबंधित तारीखों को मौजूदा विनिमय दरों पर भारतीय मुद्रा, जिनमें ये वित्तीय विवरण आधारित हैं, में परिवर्तित कर लिया जाता है।

ख. तथापि विदेशी मुद्रा में प्राप्त एवं भुगतान योग्य राशियों को तुलनपत्र की तारीख को मौजूदा विनिमय दरों पर भारतीय मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है।

3. अचल परिसंपत्तियां

क. इन लेखाओं में अचल परिसंपत्तियों का मूल्य पुरानी लागत पर बताया गया है।

ख. ऐसी अचल परिसंपत्तियों का मूल्य प्रत्येक वर्ष घटाया जाता है, यह उप–पैरा (च) में वर्णित नीति के अंतर्गत किया जाता है तथा अधिशेष को अगले वर्ष के लिए अग्रेषित किया जाता है। तथापि, किसी परिसंपत्ति की लागत प्रत्येक मामले में 5000/– रु. से कम होने पर ऐसी मदों की पूरी लागत उसी वर्ष प्रभारित की गई है।

ग. उप–पैरा (क) तथा (ख) में वर्णित नीतियों के बावजूद पुस्तकालय की पुस्तकें किसी भी मूल्य की होते हुए भी पूर्णतः खरीद के वर्ष के खातों में ही राजस्व से प्रभारित की जाती हैं।

घ. अनुसंधान और विकास परिसर पर हुए व्यय को पूंजी में परिणत होने तक "पूंजीगत कार्य प्रगति में" के अंतर्गत अलग से दर्शाया गया है।

ड. वर्ष के दौरान खरीदे गए अनुसंधान और विकास उपकरणों तथा अन्य परिसंपत्तियों के संदर्भ में साख–पत्र अथवा तत्स्थलीय–भुगतान जैसी अप्रत्यादेय भुगतान व्यवस्था की गई है, उनके मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:–

i. जहां केन्द्र द्वारा तुलन–पत्र की तारीख को अथवा उससे पहले परिसंपत्तियां प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन भुगतान नहीं किया गया है, वहाँ संबंधित उपकरण का पूंजीकरण किया गया, उसके सकल मूल्य के लिए तदनुरूप देयता के लिए लागू दरों पर मूल्यह्रास दिया गया।

ii. दूसरी ओर, तुलन–पत्र की तारीख को जहां परिसंपत्तियां मार्गस्थ है और उसके लिए भुगतान नहीं किया गया है, यद्यपि आपूर्तिकर्ता से संगत दस्तावेज प्राप्त हो चुके हैं, ऐसी सामग्री तदनुरूप देयताओं सहित ""मार्गस्थ परिसंपत्तियों"" में दर्शाई गई है। तथापि, परिसंपत्तियों के संदर्भ में कोई मूल्यह्रास नहीं दर्शाया गया है।

iii. जहां सामग्री का आदेश नहीं दिया गया है और न ही तुलन–पत्र की तारीख तक संगत दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, उनके संदर्भ में लेखाओं में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

च. अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास

i. अचल संपत्ति पर मूल्यह्रास समय–समय पर यथा–संशोधित आयकर नियमावली 1962 (नियम) के अनुसार अपनाई गई है।

ii. तथापि वर्ष के दौरान किसी समय संस्थापित और कमीशन की गई अचल सम्पत्तियों पर नियमों के अनुसार पूरे वर्ष के लिए पूर्ण मूल्य का मूल्यह्रास किया जाता है।

iii. वर्ष के दौरान बेचे/निपटान किए गए/बेकार की गई परिसम्पति के संदर्भ में कोई मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जाता।

iv. हालांकि नियमों के अनुसार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के लिए मूल्यह्रास की दर प्लांट एवं मशीनरी की अपेक्षा अधिक है तथापि वर्ष के दौरान खरीदे गए ऐसे सभी सॉफ्टवेयर के लिए कम दर पर मूल्यह्रास किया जाता है, जो नियमों में प्लांट एवं मशीनरी के लिए निर्धारित है।

4. **संघटकों की माल–सूची**

क. इनका मूल्यांकन 'लागत' पर किया जाता है।

ख. इस प्रयोजन के लिए 'लागत' में समय–समय पर निर्धारित दरों पर ऊपरी खर्चे भी शामिल होते हैं।

ग. 'लागत' के निर्धारण के लिए सचल अधिमानता औसत की पद्धति अपनाई गई है।

घ. उपर्युक्त पद्धति लगातार अपनाई गई है।

5. **ऋण**

क. केन्द्र केवल अपने कर्मचारियों को ऋण देता है।

ख. इस ऋण को अधिकतम 40 किस्तों में मासिक समान किस्तों के रूप में वसूल किया जाता है।

ग. पहले किस्तों को सहमत संख्या में मूल राशि तथा बाद में ब्याज राशि वसूल की जाती है। तथापि, ब्याज की गणना ऐसे ऋणों पर प्रत्येक वर्ष उसी वर्ष के लेखा में की जाती है।

घ. चूंकि मूल धन तथा ब्याज की राशि की वसूल आवधिक रूप से मासिक वेतन से की जाती है, अतः यह ऋण की संबंधित कर्मचारियों द्वारा पुष्टि मानी जाती है।

ड. वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा संगठन से नौकरी छोड़ देने पर उस कर्मचारी पर ऋण तथा ब्याज की बकाया राशि की वसूली उसका अंतिम भुगतान करते समय कर ली जाती है।

6. **अग्रिम राशि**

क. कर्मचारियों को

i. इसकी वसूली संबंधित कर्मचारी के मासिक वेतन से की जाती है।

ii. इस प्रक्रिया की नियमितता के कारण, वर्ष के लिए केन्द्र का तुलन–पत्र तैयार करते समय अग्रिम राशि को कर्मचारियों से पुष्ट माना जाता है।

ख. आपूर्तिकर्ताओं तथा ठेकेदारों को

i. यह आपूर्ति अथवा सेवाओं के लिए संगत समझौतों के अंतर्गत दी जाती है।

ii. यह व्यवस्था तब भी होती है, जब पुर्जों और उपस्करों के लिए खरीद आदेश के अंतर्गत भुगतान बैंकों के माध्यम से किया जाता है।

iii. इन्हें आपूर्ति/सेवा (उपर्युक्त 1 के लिए) अथवा आदेश किए गए (उपर्युक्त 2 के लिए) उपकरणों की प्राप्ति तथा निरीक्षण पर सामान्य प्रक्रिया में समायोजित किया जाता है।

7. जमा राशियां

क. लीज किए आवासों के मालिकों को

i. दिल्ली में कर्मचारियों को तीन महीने की लीज हकदारी के बराबर राशि की दी गई अग्रिम राशि को किराए के रूप में गिना जाता है। इस प्रकार, लीज अवधि के पहले तीन महीनों के लिए कोई किराया नहीं दिया जाता।

ii. बंगलूर में कर्मचारियों को वहॉ प्रचलित प्रथा के अनुसार 10 महीने की लीज हकदारी के बराबर अग्रिम राशि को लीज अवधि की समाप्ति तक लेखा–खाते में ''जमा राशि'' के रूप में गिना जाता है। यह ''जमा राशि'' जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, प्रचलित रिवाज के अनुसार लीज अवधि की समाप्ति पर वापस ले ली जाती है। लीज अवधि का पहला महीना शुरू होते ही प्रत्येक महीने की समाप्ति पर किराया भी दिया जाता है।

ख. विविध जमा राशियां

i. इन जमाराशियों को इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है तथा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार इन जमा राशियों के समाधान के वर्ष में गिना जाता है।

8. चालू परिसम्पत्तियां तथा देयताएं

क. चालू परिसम्पत्तियां

i. केन्द्र द्वारा दूरसंचार प्रचालकों अथवा सरकारी एजेंसियों के लिए शुरू की गई परियोजनाओं पर हुए व्यय को, तुलन–पत्र की तारीख को वसूल न की गई बकाया राशि की हद तक, चालू परिसंपत्तियों के हिस्से के रूप में गिना जाता है।

ii. इसी प्रकार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/रॉयल्टी आय, दूरसंचार प्रचालकों से फील्ड समर्थन के लिए मिले शुल्क तथा अन्य आय को संबंधित संगठन से वसूली होने तक चालू परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है, जो आमतौर पर प्रोद्भवन आधार पर होता है।

iii. सरकारी एजेंसियों तथा पीएसयू से बकाया होने के कारण ऐसी राशियों को वसूली योग्य माना जाता है। अतः इसके किसी हिस्से के लिए कोई प्रावधान आमतौर पर नहीं किया जाता।

ख. वर्तमान देयताएं

i. केन्द्र द्वारा अन्य एजेन्सियों के लिए की गई परियोजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशि को चालू देयताओं के रूप में दर्शाया गया है।

ii. उक्त परियोजनाओं के संबंध में हुए व्यय के बाद आवधिक रूप से ऊपर (क) में दर्शाई गई राशि से बकाया होने पर, इसे आय तथा व्यय लेखे में शामिल किया जाता है।

9. **निवेश**

i. अन्य अनुसंधान और विकास कंपनी की इक्विटी में भागीदारी को इन लेखाओं के ''निवेश'' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

ii. इनकी प्रकृति के कारण इन निवेशों को ''दीर्घावधिक'' श्रेणी में रखा गया है।

iii. इनका ब्योरा ''लागत'' में किया गया है।

10. **संघटकों और अन्य सामग्री की खरीद**

ऐसे मामलों में अपनाई गई नीति ऊपर पैरा 3 (ड.) में बताए गए समान है।

11. **तुलन–पत्र में बकाया देयताओं के लिए प्रावधान**

i. जब अपेक्षित सेवाएं/आदेशित सामान प्राप्त हो जाता है लेकिन उनके बिल प्राप्त होने के बावजूद तुलन–पत्र की तारीख तक उनका भुगतान न हुआ हो, तब उन्हें प्रावधान रखने के प्रयोजन से गिना जाता है।

ii. जब आदेशित सामान और अपेक्षित सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन उसका बिल नहीं मिलता तो केन्द्र को ज्ञात मूल्य के आधार पर उनका प्रावधान किया जता है।

iii. अन्य मामलों में, इस लेखा में कोई प्रावधान नही किया जाता।

12. **राजस्व मान्यता**

क. पूरी आय प्रोद्भवन आधार पर गिनी जाती है।

ख. व्यय की गणना भी निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर प्रोद्भवन आधार पर ही होती है:

i. पात्र कर्मचारियों को अधिवर्षिता अथवा अन्यथा पर ग्रेच्युटी की गणना ''जब जाओ भुगतान पाओ'' आधार पर ग्रेच्युटी के भुगतान की पद्धति प्रचलन में होने के कारण व्यय होने पर ही की जाती है।

ii. पात्र कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का भुगतान तभी किया जाता है, जब समकक्ष सरकारी कर्मचारियों को इसके भुगतान की नीति उसी वर्ष आती है।

ग. निम्नलिखित शर्तों के एकसाथ पूरा होने पर आय तथा व्यय को ''पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजनों'' के रूप में गिना जाता है:

i. जहां समायोजन किसी लिपिकीय भूल के कारण हो,
ii. जहां लिपिकीय भूल का पता चालू वर्ष में ही लगा हो,
iii. जहां ऐसी लिपिकीय भूल एक अथवा अधिक पूर्व वित्तीय वर्षों से संबंधित हो, तथा
iv जहां इसका मूल्य प्रत्येक मामले में 5000-00 रु. से अधिक हो।

घ. ऊपर पैरा (ग) में शामिल मामलों के अलावा आय/व्यय को वर्तमान वर्ष के आय या व्यय का भाग माना जाता है।

अनुसूची 16– लेखा संबंधी टिप्पणियां

(31 मार्च 2007 को समाप्त अवधि के लिए लेखाओं के भाग के रूप में)

1.0 <u>स्थायी परिसंपत्ति</u>

1.1 स्थाई परिसंपत्तियों में दिल्ली में 40 एकड़ भूमि (फ्रीहोल्ड) शामिल है (पूर्व वर्ष–40 एकड़)।

1.2 स्थाई परिसंपत्ति में अंतर्राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत विगत में प्राप्त उपस्कर तथा अन्य परिसंपत्तियों को शामिल नहीं किया गया है।

1.3 बेंगलूर में एक लाइसेंसधारक से बकाया राशि की एवज में केन्द्र द्वारा अधिग्रहित भूमि तथा भवन को इन लेखाओं के हिस्से के रूप में शामिल स्थायी परिसंपत्ति संबंधी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। इस परिसंपत्ति के सुधार में हुआ कुल व्यय वर्ष 2006–2007 के दौरान 148.04 लाख रु. (2005–2006 में 299.37 लाख रु.) था। इस कुल व्यय में से 81.22 लाख रु. की राशि (वर्ष 2005–2006 में 151.22 लाख रु.) का लाइसेंसधारक से अधिग्रहीत भवन के हिस्से के रूप में पूंजीकरण किया जा सकता था, बशर्ते अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करके संपत्ति को औपचारिक रूप से केन्द्र के नाम हस्तांतरित कर दिया गया होता। अधिग्रहीत परिसंपत्तियों पर पिछले दो वर्षों के दौरान व्यय का अधिशेष, नेमी प्रशासनिक व्यय होने के कारण, इन दोनों वर्षों के लेखाओं में राजस्व में ठीक तरह से प्रभारित किए गए हैं। समय निकल जाने के कारण, तुलन–पत्र की तारीख को यह सुनिश्चित करना संभव नहीं था कि लाइसेंसधारक से बकाया राशि उससे अधिग्रहित संपत्ति के बराबर होगी अथवा नहीं, जो कि परस्पर विचार–विमर्श के आधार पर तय होना था।

1.4 वास्तविक सत्यापन

क. स्थायी परिसंपत्ति के लिए लेखांकन की औपचारिक पद्धति के अंतर्गत सभी तकनीकी परिसंपत्तियों का वर्ष के दौरान वास्तविक सत्यापन किया गया। यह पद्धति 1993–94 से प्रचलन में है। तथापि, फर्नीचर, कार्यालय उपकरण इत्यादि का वर्ष के दौरान वास्तविक सत्यापन नहीं किया गया।

ख. पूर्व वर्षों में किए गए स्थायी संपत्ति के वास्तविक सत्यापन में सामने आई विषंगति केन्द्र के बंगलूर और दिल्ली कार्यालयों में क्रमशः 0.68 लाख रु. तथा 1.76 लाख रु. थी। लेखाओं में इनका समाधान तथा उपयुक्त रूप से गणना अभी की जानी है। जिस वर्ष इनका अंतिम रूप से समाधान होगा, लेखाओं में इनकी गणना की जाएगी ।

ग. दिल्ली परिसर के लिए ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य के ठेके पर बिक्री कर की मांग की उपलब्ध सूचना के अनुसार गणना कर ली गई है। परिणामस्वरूप इन लेखाओं की अनुसूची 4 में ''भवन कार्यालय'' शीर्ष के अंतर्गत 174.23 लाख रु. की राशि शामिल की गई है।

2.0 पूंजीगत कार्य प्रगति पर

2.1 दिल्ली परिसर में प्रस्तावित आवास सुविधा पर वर्ष 2006–2007 के दौरान हुए 7.00 लाख रु. के व्यय (पूर्व वर्ष में 1.81 लाख रु.) को इन लेखाओं को तैयार करते समय इस शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है।

2.2 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में उक्त आवास सुविधा पर कुल व्यय 8.81 लाख रु. (31.3.06 की स्थिति के अनुसार 1.81 लाख रु.) का हुआ है।

2.3 प्रस्तावित आवास सुविधा पर ऐसे सभी व्यय को इनके पूर्ण होने पर केन्द्र के उसी वर्ष के लेखाओं में पूंजीकृत किया जाएगा। ऐसे पूरे व्यय पर आयकर नियमों के अनुसार लागू दरों पर मूल्यह्रास भी प्रदान किया जाएगा।

3.0 चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम राशि

3.1 कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम के संदर्भ में विषंगतियों का पता लगने पर इन लेखों में उपयुक्त रूप से दर्शाया जाता है।

3.2 इस केन्द्र द्वारा समय–समय पर अन्य संगठनों की परियोजनाओं के संबंध में उनसे वसूल की जाने वाली कुल राशि 31.3.2007 की स्थिति के अनुसार 1971.94 लाख रु. (31.2.2006 को 2012.69 लाख रु.) है।

3.3 वित्तीय वर्ष 2000–01 से टीओटी/रॉयल्टी की गणना के लिए प्रोद्भवन प्रणाली अपनाने के कारण लाइसेंसधारकों से बकाया कुल राशि 31.3.07 की स्थिति के अनुसार 3736.35 लाख रु. (31.3.2006 को 4014.30 लाख रु.) है।

3.4 केंद्र द्वारा लगातार अपनाई जा रही लेखांकन नीति के अनुसार केंद्र के लाइसेंसधारकों को तकनीकी समर्थन के हिस्से के रूप में विगत में खरीदे गए, किंतु लाइसेंसधारकों को वास्तव में अंतरित न किए गए संघटकों को वर्ष के अंत की मालसूची के मूल्य में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे संघटकों का मूल्य 117.34 लाख रु. (31.3.2006 को 140.82 लाख रु.) था।

3.5 इन लेखाओं को तैयार करते समय विगत में खरीदे गए जिन संघटकों के मूल्य को संबंधित वर्षों के लेखाओं में उपयुक्त माना गया था लेकिन चालू वर्ष के दौरान इनके अभिरक्षकों द्वारा इन्हें भंडारण को लौटा देने पर, इनकी गणना वर्ष के अंत में मालसूची में की गई है। ऐसे संघटकों का मूल्य 126.40 लाख रु. (पूर्व वर्ष में 64.60 लाख रु.) है।

3.6 चूंकि केन्द्र के विचार से वह 'सरकार' का हिस्सा है अतः यह माना गया कि वर्ष 2005–2006 से लागू अनुषंगी लाभ संबंधी कर–कानून के उपबंध केंद्र के मामले में लागू नहीं होते। अतः इस लेखा पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3.7 एक आयातित उपस्कर के मूल्य के रूप में 12.70 लाख रु. (पूर्व वर्ष में 12.99 लाख रु.) की अग्रिम राशि को ''वसूलीयोग्य राशि'' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है। संबंधित उपभोक्ता सुधार मंच द्वारा मामले के निपटान के बाद इस मूल्य का उपयुक्त लेखांकन किया जाएगा।

4.0 प्रावधान न किए गए अनुषंगी दायित्व

4.1 संघटकों और उपकरणों की खरीद के लिए केन्द्र के बैंक द्वारा जारी असमाप्त साख–पत्र के कारण ..... 31.3.2007 को 85.40 लाख रु. (31.3.2006 को 582.95 लाख रु.)।

5.0 आय तथा व्यय लेखा

5.1 इस लेखा को तैयार करते समय ''टीओटी/रॉयल्टी'' शीर्ष के अंतर्गत प्रोद्भवन आधार पर कोई आय नहीं समझी गई है।

5.2 केन्द्र द्वारा एक दूरसंचार प्रचालक की फील्ड यूनिटों को दिए गए तकनीकी समर्थन के लिए शुल्क को इस संबंध में समझौता–ज्ञापन के अभाव के बावजूद प्रोद्भवन आधार पर दर्शाया गया है। तदनुसार, वर्ष 2006–2007 के लिए आय में 3000.00 लाख रु. की राशि (2005–2006 में शून्य रु.) शामिल की गई है।

5.3 वर्ष 2006–07 के दौरान उपयुक्त संघटकों का मूल्य 772.10 लाख रु. (पूर्व वर्ष 505.20 लाख रु.) है। यह मूल्य 1.04.2006 के कुल स्टॉक मूल्य से 31.3.07 को संघटकों के समापन स्टॉक मूल्य को घटाने से

प्राप्त हुआ है। खरीददारी वर्ष 2006–2007 में की गई थी, लेकिन 31.3.07 को मालसूची की लागत निकालने के लिए आधार में परिवर्तन के कारण वर्ष 2006–07 के लिए संघटकों का उपभोग 131.98 लाख रु. अधिक है। लेकिन वर्ष के दौरान आधार में परिवर्तन के लिए उपभोग इस हद तक कम कर दिया गया है। आधार में परिवर्तन प्रचलित पद्धति की समीक्षा के बाद किया गया।

5.4 1.4.2006 को मालसूची खोलने में 31.3.2007 को 89.53 लाख रु. के मूल्य के संघटकों (पूर्व वर्ष शून्य) को अपना उत्पादकता मूल्य खो चुका पाया गया। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने इन संघटकों का कबाड़ के रूप में निपटान कर दिया। अतः 31.3.07 को मालसूची के समापन के मूल्य की गणना करते समय इसके मूल्य को शामिल नहीं किया गया। लेकिन इसकी समीक्षा के लिए, समापन मालसूची और अधिक होती तथा वर्ष के दौरान संघटकों का उपभोग काफी कम रहा।

6. सामान्य

6.1 विदेशी मुद्रा विनिमय के संदर्भ में उतार–चढ़ाव के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में 1.75 लाख रु. (निवल) का फायदा हुआ (पूर्व वर्ष में 3.64 लाख रु. का फायदा)।

6.2 केन्द्र द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों का स्वरूप इस प्रकार का है कि ये सतत रूप से किसी प्रकार का "विनिर्माण" और "उत्पाद की बिक्री" में नहीं आते जिससे उन पर विनिर्मित उत्पादों और उनकी बिक्री के कराधान से संबंधित विधि के उपबंध लागू हो सकें। अतः इन लेखों में यही अवधारणा परिलक्षित होती है। लेकिन केंन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ तकनीकी सेवाओं पर सेवा कर लागू होता है।

6.3 बेहतर प्रस्तुतीकरण दर्शाने के लिए विगत वर्षों के आंकड़ों को यथा आवश्यकता पुनः समूहित/पुनः वर्गीकृत किया गया।

हमारे बैंकर

केनरा बैंक
12, आराधना एन्क्लेव
सेक्टर–13, आर. के. पुरम, नई दिल्ली–110 066

सिंडिकेट बैंक
कार्पोरेट वित्त शाखा
दिल्ली तमिल संगम बिल्डिंग
आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110 066

केनरा बैंक
केआईएडीबी बिल्डिंग, बोमासेंड्रा इंडस्ट्रियल एरिया कॉम्पलैक्स,
होसुर रोड, बोमासेंड्रा
बंगलूर – 560 099

सिंडिकेट बैंक
स्नेहा कॉम्पलेक्स, 71/1, मिल्लर्स रोड,
बंगलूर–560 052

हमारे कानूनी लेखाकार

के. वेंकटाचलम अय्यर एंड कंपनी
चार्टर्ड अकांउटेंट्स
चौथा तल, जलिता टावर्स
21/1, मिशन रोड
बंगलूर–560 027

हमारे कार्यालय

सी–डॉट
सी–डॉट परिसर
महरौली, नई दिल्ली–110 030

सी–डॉट
इलैक्ट्रॉनिक्स सिटी फेज 1
होसुर रोड, बंगलूर–560 100

सी–डॉट
सी–डॉट फील्ड समर्थन केंद्र
सीटीएस मुख्य भवन, बी ब्लॉक,
6ठी मंजिल, पी–94, ट्रांस्पोर्ट डिपो रोड
कोलकता–700 088

सी-डॉट
C-DOT

सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स

सी–डॉट कैम्पस, मेहरौली, नई दिल्ली– 110 030

www.cdot.co.in

www.pehachan.com